



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

मान्यता संख्या

विद्यालय का नाम एवं पता

से अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर निर्णय लिया कि विद्यालय को नीचे अंकित विषयों में माध्यमिक परीक्षा से तक वर्णित शर्तों के अनुसार अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

अनिवार्य विषय : (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) विज्ञान (4) सा. ज्ञान (5) गणित (6) एस.यू.पी.डब्ल्यू (7) कला शिक्षा (8) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

तृतीय भाषा :

कोई भी संस्था मान्यता विनियम अध्याय 13(9) के अनुसार अनिवार्य शर्तों की पूर्ति करने पर ही मान्यता प्राप्त कर सकेगी और मान्य बनी रह सकेगी और स्थायी मान्यता हेतु नियमानुसार प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे।

1. स्थायी मान्यता हेतु शुल्क (अध्याय-13 विनियम-5) 10000/- रु.,
2. कक्षा-8 अथवा 10 स्तर पर स्थायी मान्यता के आदेश (अध्याय-13 विनियम-6)
3. छात्र/छात्रा संस्था कक्षावार-6 से 12 विषयवार दिनांक 1.7.200..... की स्थिति।
नोट - माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी दोनों हों तो अलग सूची दें।
4. कक्षा-1 से 5 तक की कक्षाओं का पृथक संस्था प्रधान द्वारा पृथक संचालन की घोषणा।
5. (अ) संस्था के भवन का नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट PWD इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित। (Exiting Building)
(ब) कक्षाओं का उपयोग - कक्षा, नाप, उपयोग, कमी, विशेष
1 2 3 4 5
(स) भवन की मिलकियत - किराये पर हो तो किरायानामा संलग्न करें।
(द) खेल के मैदान का नाप - खेल के नाम।
6. भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रारूप में सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकृत इंजीनियर [सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)] द्वारा दिया गया हो।
7. दिनांक 1.7.200 को विद्यालय संस्था प्रधान, शिक्षक, अन्य समस्त कर्मचारी का सेवा विवरण-
नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, योग्यता मय स्नातक स्तर के विषय, नियुक्ति की तिथि, पद व वेतन, वेतन श्रृंखला
1 2 3 4 5 6 7
स्थायी/अस्थायी/अंशकालीन कक्षाएं आवंटित, कमी, अध्यापन विषय
8 9 10 11
नोट - अध्याय-31 के विनियमों का अवलोकन करें।
8. आवर्तक व अनावर्तक राशि जो निम्नानुसार प्रयोजन हेतु-
1. फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशालाएं (विषय वार उपकरण हेतु, अन्य)
9. गैर सरकारी विद्यालय निम्नानुसार अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करें-
(1) संस्था का पंजीयन आदेश
(2) पंजीयन से सम्बद्ध पंजीकृत विधान
(3) अन्तिम चुनाव वर्ष एवं घोषणा
(4) संचालन/प्रबन्ध समिति (पंजीकृत प्रति) के सदस्य की नियुक्ति घोषणा तथा नाम व पते (मय शाला प्रधान व विभागीय प्रतिनिधि) सूची में हस्ताक्षर मय सील अथवा सहमति पत्र मय सील।
(5) स्थिर जमा राशि/स्थायी कोष 25,000/- रु. 60 माह की अवधि के लिए जि.शि.अधि. के संयुक्त खाते में।
(6) पंजीयन संस्था द्वारा अन्य संचालित संस्थाओं के नाम, पते व शिक्षा स्तर तथा मान्यता स्थिति।
(7) गत वित्तीय वर्ष का आय-व्यय का विवरण।
10. सभी संस्था प्रधान/संचालक घोषणा प्रस्तुत करें जिसका प्रारूप इस प्रकार है :-

सभी प्रलेख विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित एवं क्रमवार प्रलेख ही कार्यालय को प्रस्तुत करें।

घोषणा-पत्र

संस्था को स्थायी मान्यता प्रदत्त करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा इस हेतु पारित विनियमों अध्याय-13, 31 और 32 की अनुपालना की गई है तथा इस हेतु 1.7.200..... की विद्यालय सम्बन्धी जानकारी में प्रमाण-पत्र की सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता हूं।

विद्यालय की सील
व पूरा पता

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान की सील

हस्ताक्षर

संचालक